

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर

राजस्व वाद संख्या 95/2011

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प - जालिया प्रथम
श्री बाला उर्फ बालूसिंह उम्र करीबन 62 साल पुत्र श्री हीरा जी
जाति रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर वारीस हीरा पुत्र लाखा

ब न अ म

- 1- श्री पांचा उम्र करीबन 70 साल
 - 2- श्री धन्ना उम्र करीबन 69 साल } पिसरान श्री हीरा
 - 3- श्री पेमा उम्र करीबन 67 साल पुत्र हीरा जी —मृतक—
 - 3/1- श्रीमति कंकूदेवी उम्र 63 साल बैवा पेमा जी
 - 3/2- श्री राजेन्द्रसिंह उम्र करीबन 40 साल
 - 3/3- श्री नौरतसिंह उम्र करीबन 36 साल } पिसरान स्व. पेमा जी
 - 3/4- श्री रतनसिंह उम्र करीबन 24 साल
 - 3/5- श्री विजयसिंह उम्र करीबन 20 साल
- समस्त जाति रावतान निवासी गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 3/6- श्रीमति गीता पुत्री पेमा पत्नि श्री प्रतापसिंह जी जाति रावत
निवासी नरबतखेडा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर
 - 3/7- श्रीमति लक्ष्मी पुत्री पेमा पत्नि श्री मदनसिंह जाति रावत
निवासी गांव सेन्दडा तहसील रायपुर जिला-पाली
 - 3/8- श्रीमति लीला पुत्री पेमा पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह जाति रावत
निवासी जोहरखेडा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर
 - 3/9- श्रीमति सुगनी पुत्री पेमा पत्नि श्री पुरुषोत्तमसिंह जाति रावत
निवासी रेल्वे फाटक के पास सबलपुरा तहसील रायपुर जिला-पाली
 - 4- श्री अजमाल उर्फ कालू उम्र करीबन 64 साल पुत्र हीरा जी
समस्त वारीसान श्री हीरा पुत्र लाखा
 - 5- श्रीमति गंगा वयस्क बैवा नाथू पुत्र वजीरा
 - 6- श्रीमति कमला वयस्क बैवा अमरसिंह पुत्र नाथू जी पुत्र वजीरा जी
 - 7- कुमारी मन्जू उम्र 15 साल पुत्री अमरसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता
श्रीमति कमला बैवा अमरसिंह जाति रावत
 - 8- श्री अन्ना वयस्क पुत्र नाथू जी पुत्र वजीरा
सभी जाति रावत निवासीयान गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
 - 9- श्रीमति सुगना वयस्क पुत्री नाथू पत्नि जसवंतसिंह रावत
 - 10- श्रीमति पुष्पा वयस्क पुत्री नाथू पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह जी रावत
निवासी केसरपुरा उदयपुर रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
 - 11- श्री किसना वयस्क पुत्र वजीरा रावत —मृतक—
 - 11/1- श्री पूरणसिंह उम्र 28 साल पुत्र स्व. श्री किसना जी
जाति रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
 - 11/2- श्रीमति सुमन उम्र करीबन 25 साल पुत्री स्व. किसना जी पत्नि श्री
मोहनसिंह जाति रावत निवासी प्रतापगढ वाया बाबरा तहसील रायपुर
समस्त वारीसान वजीरा पुत्र भूरा रावत
 - 12- श्रीमति भंवरी वयस्क बैवा बुद्धा जी रावत
 - 13- श्री नारायणसिंह वयस्क पुत्र श्री बुद्धा जी रावत —मृतक—
 - 13/1- श्रीमति गोदावरी वयस्क बैवा नारायणसिंह
 - 13/2- श्री गणेशसिंह वयस्क पुत्र स्व. नारायणसिंह
जाति रावत निवासीयान गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
 - 13/3- श्री भरतसिंह उम्र करीबन 15 साल नाबालिग पुत्र स्व. नारायणसिंह
 - 13/4- कुमारी खुशी उम्र करीबन 13 साल नाबालिग पुत्री स्व. नारायणसिंह
दोनो नाबालिगान जरिये नेक्सट फ्रेण्ड कुदरती वली माता श्रीमति
गोदावरी बैवा नारायणसिंह रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तह0 ब्यावर



.....लगातार

पीयूष समारिथ
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला-अजमेर

राजस्व वाद संख्या 95/2011

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प - जालिया प्रथम

श्री बाला उर्फ बालूसिंह उम्र करीबन 62 साल पुत्र श्री हीरा जी
जाति रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर वारीस हीरा पुत्र लाखा
----- वादी

ब न म

- 1- श्री पांचा उम्र करीबन 70 साल
- 2- श्री धन्ना उम्र करीबन 69 साल } पिसरान श्री हीरा
- 3- श्री पेमा उम्र करीबन 67 साल पुत्र हीरा जी —मृतक—
- 3/1- श्रीमति कंकूदेवी उम्र 63 साल बैवा पेमा जी
- 3/2- श्री राजेन्द्रसिंह उम्र करीबन 40 साल
- 3/3- श्री नौरतसिंह उम्र करीबन 36 साल } पिसरान स्व. पेमा जी
- 3/4- श्री रतनसिंह उम्र करीबन 24 साल
- 3/5- श्री विजयसिंह उम्र करीबन 20 साल }
समस्त जाति रावतान निवासी गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 3/6- श्रीमति गीता पुत्री पेमा पत्नि श्री प्रतापसिंह जी जाति रावत
निवासी नरबतखेडा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर
- 3/7- श्रीमति लक्ष्मी पुत्री पेमा पत्नि श्री मदनसिंह जाति रावत
निवासी गांव सेन्दडा तहसील रायपुर जिला-पाली
- 3/8- श्रीमति लीला पुत्री पेमा पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह जाति रावत
निवासी जोहरखेडा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर
- 3/9- श्रीमति सुगनी पुत्री पेमा पत्नि श्री पुरुषोत्तमसिंह जाति रावत
निवासी रेल्वे फाटक के पास सबलपुरा तहसील रायपुर जिला-पाली
- 4- श्री अजमाल उर्फ कालू उम्र करीबन 64 साल पुत्र हीरा जी
समस्त वारीसान श्री हीरा पुत्र लाखा
- 5- श्रीमति गंगा वयस्क बैवा नाथू पुत्र वजीरा
- 6- श्रीमति कमला वयस्क बैवा अमरसिंह पुत्र नाथू जी पुत्र वजीरा जी
- 7- कुमारी मन्जू उम्र 15 साल पुत्री अमरसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता
श्रीमति कमला बैवा अमरसिंह जाति रावत
- 8- श्री अन्ना वयस्क पुत्र नाथू जी पुत्र वजीरा
सभी जाति रावत निवासीयान गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 9- श्रीमति सुगना वयस्क पुत्री नाथू पत्नि जसवंतसिंह रावत
- 10- श्रीमति पुष्पा वयस्क पुत्री नाथू पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह जी रावत
निवासी केसरपुरा उदयपुर रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 11- श्री किसना वयस्क पुत्र वजीरा रावत —मृतक—
- 11/1- श्री पूरणसिंह उम्र 28 साल पुत्र स्व. श्री किसना जी
जाति रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 11/2- श्रीमति सुमन उम्र करीबन 25 साल पुत्री स्व. किसना जी पत्नि श्री
मोहनसिंह जाति रावत निवासी प्रतापगढ वाया बाबरा तहसील रायपुर
समस्त वारीसान वजीरा पुत्र भूरा रावत
- 12- श्रीमति भंवरी वयस्क बैवा बुद्धा जी रावत
- 13- श्री नारायणसिंह वयस्क पुत्र श्री बुद्धा जी रावत —मृतक—
- 13/1- श्रीमति गोदावरी वयस्क बैवा नारायणसिंह
- 13/2- श्री गणेशसिंह वयस्क पुत्र स्व. नारायणसिंह
जाति रावत निवासीयान गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 13/3- श्री भरतसिंह उम्र करीबन 15 साल नाबालिग पुत्र स्व. नारायणसिंह
- 13/4- कुमारी खुशी उम्र करीबन 13 साल नाबालिग पुत्री स्व. नारायणसिंह
दोनो नाबालिगान जरिये नेक्सट फ्रेण्ड कुदरती वली माता श्रीमति
गोदावरी बैवा नारायणसिंह रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तह0 ब्यावर

.....लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
ब्यावर



- 13/5-श्रीमति डाली वयस्क पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि श्री प्रवीणसिंह जाति रावत निवासी ग्राम कोटडा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर
- 13/6-श्रीमति कविता वयस्क पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि श्री रघुवीरसिंह रावत निवासी सोवनीया मालीपुरा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर राज0 वारीसान श्री हंजा उर्फ हजारी पुत्र भूरा रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 14- श्री नारायणसिंह वयस्क पुत्र धूलसिंह रावत
- 15- श्री भगवानसिंह वयस्क पुत्र धूलसिंह रावत —मृतक—
- 15/1-श्रीमति मीरा उम्र 50 साल बैवा भगवानसिंहजी
- 15/2-श्री विजयसिंह उम्र करीबन 20 साल पुत्र स्व. भगवानसिंह
- 15/3-श्री अरविन्दसिंह उम्र करीबन 16 साल नाबालिग पुत्र स्व. भगवानसिंह जरिये नेकस्ट फ्रेण्ड कुरदती वली माता श्रीमति मीरा बैवा भगवानसिंह जाति रावत निवासीयान ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 15/4-श्री धर्मेन्द्रसिंह उम्र करीबन 30 साल पुत्र स्व. भगवानसिंह जाति रावत निवासी गांव धोलिया तहसील रायपुर जिला-पाली
- 15/5-श्रीमति शीला उम्र करीबन 22 साल पुत्री स्व. भगवानसिंह पत्नि श्री जितेन्द्रसिंह रावत निवासी धोलीसाट पी.ओ.जवाजा तहसील ब्यावर
- 16- श्री संतोषसिंह वयस्क पुत्र धूलसिंह रावत
- 17- श्री मिठूसिंह वयस्क पुत्र घीसासिंह रावत—मृतक—
- 17/1-श्रीमति दाखू उम्र 58 साल बैवा मिठूसिंहजी
- 17/2-श्री बलवंतसिंह उम्र करीबन 41 साल
- 17/3-श्री रणजीतसिंह उम्र करीबन 39 साल
- 17/4-श्री नरेन्द्रसिंह उम्र करीबन 37 साल } पिसरान स्व. मिठूसिंह जी
- समस्त जाति रावतान निवासी गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 17/5-श्रीमति कंचन पुत्री मिठूसिंह पत्नि श्री होशियारसिंह जी जाति रावत निवासी ग्राम सरवीना तहसील ब्यावर
- 17/6-श्रीमति सुशीला पुत्री मिठूसिंह पत्नि श्री अमरसिंह जाति रावत निवासी गांव सेन्दडा तहसील रायपुर जिला-पाली
- समस्त वारीसान श्री घीसासिंह पुत्र लूम्बा रावत
- 18- श्रीमति गंगा बैवा पूनमसिंह पुत्र हुक्मा
- 19- श्री चिम्मनसिंह वयस्क पुत्र पूनमसिंह पुत्र हुक्मा
- 20- श्री गोपाल वयस्क पुत्र पूनमसिंह पुत्र हुक्मा
- 21- श्री अमरसिंह वयस्क पुत्र हुक्मा
- सभी जाति रावत निवासीयान गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- समस्त वारीसान पन्ना पुत्र केशा
- 22- श्री मोहन वयस्क पुत्र नाथू
- 23- श्री कैलाश वयस्क पुत्र लक्ष्मणसिंह
- 24- श्री सुखदेवसिंह वयस्क पुत्र लक्ष्मणसिंह
- 25- श्री नैनासिंह वयस्क पुत्र लक्ष्मणसिंह—मृतक—
- 26- श्री उगमसिंह वयस्क पुत्र लक्ष्मणसिंह
- 27- श्री हेमन्त उम्र करीबन 17 साल } पिसरान श्री स्व. लक्ष्मणसिंह नाबालिग जरिये
- 28- श्री लाला उम्र करीबन 13 साल } बडा भाई नेकस्ट फ्रेण्ड श्री कैलाशसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह रावत
- 29- श्री उदयसिंह उर्फ उदा वयस्क पुत्र मोडूसिंह
- समस्त जाति रावतान निवासीयान ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- समस्त वारीसान मोती पुत्र केशा रावत

.....लगातार

पीयूष समारिया
प्रखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



- 30- श्री पारसकुमार वयस्क पुत्र उदयराज मेवाडा जाति कलाल
निवासी ग्राम बर तहसील रायपुर जिला-पाली
- 31- श्रीमति प्रेमलता भंसाली वयस्क पत्नि श्री प्रकाशचन्द जी जैन जाति ओसवाल
जैन निवासी श्रीचन्द अब्बानी गली ब्यावर हाल बर्फ फेक्ट्री के पीछे अजमेर रोड
दादीधाम के पीछे, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 32- श्री शिवकुमार वयस्क पुत्र मांगीलाल जाति माली
निवासी फारसी कॉलोनी ब्यावर तहसील ब्यावर
- 33- श्रीमति मैथी वयस्क पत्नि श्री पांचूसिंह रावत
निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 34- श्री इन्द्रचन्द संचेती वयस्क पुत्र श्री अमरचन्द संचेती जाति जैन
निवासी कुन्दन भवन गली, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 35- सुश्री स्वाति वर्मा वयस्क पुत्री श्री कुंजबिहारी जाति सोनी
निवासी सनातन स्कूल मार्ग, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 36- श्रीमति चन्दनबाला वयस्क पत्नि श्री पदमचन्द जी जाति जैन
निवासी नृसिंहगली, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 37- श्रीमति लीलादेवी वयस्क पत्नि श्री नवलकिशोर जी भराडिया
जाति माहेश्वरी निवासी नृसिंहगली, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 38- श्रीमति गोदावरीदेवी पत्नि श्री शंकरलाल जी जाति जांगिड
निवासी वर्धमान कॉलेज के पास, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 39- श्रीमति प्रभातीदेवी वयस्क पत्नि श्री गणपतलाल जी जाति जांगिड
निवासी करणीनगर लिंक रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 40- श्री विनोदकुमार वयस्क पुत्र बुधमल जोशी
निवासी कृष्णा कॉलोनी, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 41- श्री लक्ष्मण वयस्क पुत्र भैर जी जाति जांगडा ब्राह्मण
निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 42- श्री तेजमल
43- श्री बिरदीचन्द
44- श्री सुमेर } वयस्क पिसरान राधाकिशन तेली
- 45- श्री बुधाराम वयस्क पुत्र श्री विभीषण लुहार
निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 46- श्रीमति सीता वयस्क पत्नि श्री बिरदीचन्द जांगिड खाती
निवासी गायत्रीनगर द्वितीय जालिया लिंक रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 47- राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर
- 48- श्रीमान् सबरजिस्ट्रार महोदय, ब्यावर
- 49- श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:- 3-5-18

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में पेश हुआ। वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर जिला-अजमेर में काश्त भूमियां वाद पत्र की चरण संख्या 1 क में वणित साबिक खसरा नंबर 14, हाल खसरा नंबर 16 रकबा 01-08-00 किस्म ता.3, साबिक खसरा नंबर 330 हाल खसरा नंबर 380 रकबा 00-10-10, साबिक खसरा नंबर 332 हाल खसरा नंबर 382 रकबा 00-08-00 किस्म चा.1, साबिक खसरा नंबर 889 हाल खसरा नंबर 1043 रकबा 00-18-00

.....लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



किस्म चा.1+, साबिक खसरा नंबर 15 हाल खसरा नंबर 17 रकबा 01-03-00 किस्म ता.3, साबिक खसरा नंबर 331 हाल खसरा नंबर 381 रकबा 00-18-10, साबिक खसरा नंबर 334 हाल खसरा नंबर 383 रकबा 01-05-00 किस्म बा.1, साबिक खसरा नंबर 888 हाल खसरा नंबर 1042 रकबा 02-00-10 किस्म चा.1+, साबिक खसरा नंबर 329 हाल खसरा नंबर 358 रकबा 00-10-10 किस्म चा.1, साबिक खसरा नंबर 333 हाल खसरा नंबर 383 रकबा 00-09-10 किस्म चा.1, साबिक खसरा नंबर 890 हाल खसरा नंबर 1044 रकबा 00-18-10 किस्म चा.1+ एवं वाद पत्र की चरण संख्या 1 ख में वर्णित साबिक खसरा नंबर 324 हाल खसरा नंबर 375 रकबा 00-05-10 किस्म चाह, साबिक खसरा नंबर 17 हाल खसरा नंबर 19 रकबा 00-09-10 किस्म बाडा एवं वाद पत्र की चरण संख्या 1 ग में वर्णित साबिक खसरा नंबर 168 हाल खसरा नंबर 193 रकबा 01-02-10 किस्म बा.1, साबिक खसरा नंबर 170 हाल खसरा नंबर 195 रकबा 01-1-00 किस्म बा.1, साबिक खसरा नंबर 171 हाल खसरा नंबर 189 रकबा 00-09-00 किस्म बा.1, 190 रकबा 00-09-10 किस्म बा.1, साबिक खसरा नंबर 169 हाल खसरा नंबर 194 रकबा 01-02-00 किस्म बा.1, वाद पत्र की चरण संख्या 1 घ में वर्णित साबिक खसरा नंबर 64 हाल खसरा नंबर 74 रकबा 01-09-00 किस्म ता.2, साबिक खसरा नंबर 65 हाल खसरा नंबर 75 रकबा 00-13-10 किस्म ता.2, खसरा नंबर 76 रकबा 00-13-00 किस्म ता.2 वाद पत्र की चरण संख्या 1 ड में वर्णित साबिक खसरा नंबर 336 हाल खसरा नंबर 385 रकबा 00-05-00 किस्म बा.3, 386 रकबा 00-05-00 बा.3, वाद पत्र की चरण संख्या 1 च में वर्णित हाल खसरा नंबर 59 रकबा 00-16-00 किस्म चा.1, 60 रकबा 00-11-00 किस्म चा.2, 50 रकबा 00-11-10 किस्म चा.2, 49 रकबा 00-11-00 किस्म चा.2, 38 रकबा 00-17-00 किस्म चा.01, 39 रकबा 00-02-10 किस्म गै.मु.चाह, 51 रकबा 00-12-00 किस्म बा.3, 52 रकबा 00-10-00 किस्म बा.1 एवं वाद पत्र की चरण संख्या 1 छ में वर्णित हाल खसरा नंबरान 487 रकबा 01-09-00 किस्म बा.1 एवं 192 रकबा 01-00-00 किस्म बा.1 स्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 (क) में वर्णित खसरा के 1350 फसली की खेवट में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज हीरा पुत्र लाखा दो हिस्सों में से एक हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा एवं हन्जा उर्फ हजारी व वजीरा उर्फ उजीरा पिसरान भूरा का एक हिस्सा यानि 1/2 हिस्सा था। तथा वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ख) में वर्णित भूमियों के श्री हीरा पुत्र लाखा कुल चार हिस्सों में से दो हिस्सों का एवं श्री मोती एवं पन्ना पिसरान केसा पुत्र रूपा एक हिस्से के तथा श्री घीसासिंह पुत्र लूम्बा एक हिस्से के मालिक एवं खुदकाश्त थे। तथा वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ग) में वर्णित भूमियों के कुल दो हिस्सों में से घीसा पुत्र लूम्बा एक हिस्से के तथा हजारी पुत्र भूरा, हीरा पुत्र लाखा एक हिस्से के खुदकाश्त मालिक थे तथा वाद पत्र की चरण संख्या 1 (घ) में वर्णित भूमियों के कुल दो हिस्सों में से हीरा पुत्र लाखा एक हिस्से के तथा हन्जा उर्फ हजारी व वजीरा उर्फ उजीरा पिसरान भूरा एक हिस्से के खुदकाश्त मालिक थे। जिनकी वंशावली वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित है। वंशावलीयों व उपरोक्त हिस्सों के अनुसार खातेदारी के इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 एवं हाल जमाबंदी में भी खातेदारी के इन्द्राज चले आ रहे हैं, इस कारण से वाद पत्र की चरण संख्या 1 (क) में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 1/2 हिस्से के तथा हन्जा उर्फ हजारी व वजीरा उर्फ उजीरा तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 11, 1/4 हिस्से के तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 हन्जा उर्फ हजारी के वारीसान 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं, इस प्रकार से उक्त भूमि में वादी का 1/10 हिस्से का खातेदार है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ख) में वर्णित भूमियों में उक्त वंशावली के अनुसार स्व. हीरा के वारीसान वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 हीरा के मरने बाद 1/2 हिस्से के खातेदार हो चुके हैं, तथा स्व. मोती के वारीसान प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 29 हैं, तथा पन्ना के वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 21 कुल मिलाकर 1/4 हिस्से के एवं स्व. घीसा के वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 14 लगायत 17 कुल मिलाकर 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं, किन्तु हाल सेटलमेंट के बाद वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज नहीं किया गया है। इसलिये उनका हिस्सा दर्ज करवाने के वादी

.....लगाता

पीयूष समारिया
प्रखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



अधिकारी है। इसलिये वादी का इन भूमियों में अकेले का 1/10 हिस्सा बनता है, जबकि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने अपना कोई हिस्सा किसी को भी नहीं बेचा है। तथा जो घीसासिंह के वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 14, 15 व 16 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 17 का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिये गये हैं, उसके स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 14 लगायत 17 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 29 जो मोती व पन्ना के वारीसान का 1 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है, उसके स्थान पर उनका मात्र 1/4 हिस्सा ही बनता है, वह दर्ज किया जाना आवश्यक है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ग) में हीरा के वारीसान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 हीरा के मरने के बाद 1/2 हिस्से के तथा हन्जा उर्फ हजारी के वारीसान प्रतिवादी संख्या 12 व 13, 1/4 हिस्से के तथा वजीरा उर्फ उजीरा के वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 11, 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो जाते हैं, किन्तु हाल सेटलमेंट के बाद बनी जमाबंदियों में खसरा नंबर 190, 193, 194 इन तीन खसरो में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज करने के बजाए 1/4 हिस्सा गलती से दर्ज कर दिया गया है, तथा अन्य प्रतिवादीगण के गलत व ज्यादा हिस्से दर्ज कर दिये गये हैं। इसी प्रकार से खसरा नंबर 195 में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का दो हिस्से में से एक हिस्सा है, उसके स्थान पर केवलमात्र दो हिस्सों में से उनका 1/2 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया है, तथा खसरा नंबर 189 में भी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा है, उसमें उनका कोई हिस्सा दर्ज नहीं करके इन्द्रचन्द संचेती का नाम गलत दर्ज कर दिया है, जबकि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 ने अपना हिस्सा किसी को नहीं बेचा है, इसलिये उक्त इन्द्राज गलत व झूठे हैं। वाद पत्र की चरण संख्या 1 (घ) में वर्णित हाल खसरा नंबर 74, 75 व 76 में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा है, तथा शेष हिस्से में हन्जा उर्फ हजारी के वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 का 1/4 हिस्सा तथा वजीरा उर्फ उजीरा के वारीसान प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 11 का 1/4 हिस्सा है, किन्तु उक्त प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 व 5 लगायत 11 ने उक्त खसरा नंबर 75 व 76 में से अपना हिस्सा श्री मोतीराम पुत्र केवाराम सिंधी को बेचान कर दिया था और मोतीराम पुत्र केवाराम का हिस्सा भी बेचान होता रहा। इस प्रकार से उक्त खसरा नंबर 75 व 76 में प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 13 एवं मोतीराम का कोई हिस्सा नहीं रहा। और खसरा नंबर 76 में उनके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 35, 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 36, 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 37, 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 38, 5/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 39 श्रीमति प्रभातीदेवी 1/12 हिस्से के खातेदार रहे इस खसरे में वादी का 1/10 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 4/10 हिस्सा है। उक्त हाल खसरा नंबर 75 में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 40 विनोदकुमार का 1/8 हिस्सा है, और मोतीराम सिंधी का 3/8 हिस्सा था किन्तु उसने तथा उसके वारीसान ने अपना हिस्सा बेच दिया था। उसमें प्रतिवादी संख्या 35 स्वाती वर्मा को 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 36 चन्दनबाला को 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 37 लीलादेवी को 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 38 व 39 कमशः गोदावरीदेवी व प्रभातीदेवी को 3/24 बेच दिया था। इसलिये वे मोतीराम सिंधी के स्थान पर उपरोक्त हिस्सों की खातेदार हो गईं। उक्त खसरा नंबर 75 में वादी का 1/10 हिस्सा है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 (ड) में वर्णित साबिक खसरा नंबर 336 का रकबा 10 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 385 व 386 बने हैं, वह भूमि संन 1350 फसली की खतौनी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज श्री हीरा पुत्र लाखा की खातेदारी में दर्ज थी। जिनका कब्जा मुदत 45 साल से चला आ रहा है। किन्तु स्व. हीरा जी के मरने के बाद स्व. हीरा के वारीसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज की जानी थी किन्तु प्रतिवादी पांचा ने मिलीभगती कर उक्त भूमि को अपने अकेले के नाम गलत दर्ज करा ली गई है, इसलिये हाल खसरा नंबर 385 व 386 का वादी 1/5 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक 4/5 हिस्से के खातेदार दर्ज किये जाने चाहिये। साबिक खसरा नंबर 335 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म बाली

.....लगातार

पीयूष समारिया
प्रमुख अधि. एवं सहायक कलक्टर
व्यावर



(नाला) दर्ज थी जो शामलाती देह की सरकारी भूमि थी जिसके हाल खसरा नंबर 384 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 374 रकबा 12 बिस्वा व खसरा नंबर 357 रकबा 8 बिस्वा थी उसमें से हाल खसरा नंबर 374 रकबा 12 बिस्वा ऊदा पुत्र लालू एवं मोती एवं नाथू पिसरान ऊमा रावत के हक में दाखिल खारीज संख्या 166 दिनांक 21.5.1984 के द्वारा गैर खातेदारी गलत व गैर कानूनी रूप से दे दी गई जबकि सरकारी नाले में खातेदार कानूनन दी ही नहीं जा सकती थी, इसी प्रकार से हाल खसरा नंबर 384 रकबा 14 बिस्वा की वर्किंग जमाबंदी में श्री मोती पुत्र ऊमा कोम रावत के नाम बिना किसी आवंटन के गलत दर्ज कर दी गई और बाद में उसका उक्त मोती के मरने के बाद उसके स्थान पर उसके पुत्र धूलसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम दर्ज कर दिया गया है। ओर उक्त धूलसिंह ने उक्त गलत इन्द्राज के कारण से उक्त हाल खसरा नंबर 384 को गलत व गैर कानूनी रूप से श्रीमति मेथी पत्नि पांचू रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर को बेचान कर दी है, तथा नक्शा ट्रेस सन् 1942-43 में जो साबिक खसरा नंबर 333 व 334 जिसके हाल खसरा नंबर क्रमशः 383 रकबा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी व हाल खसरा नंबर 383 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जो कि सरकारी बाली (नाला) साबिक खसरा नंबर 335 तक थी जो एक सकरी नाली के रूप में दर्शायी गई है, उसके स्थान पर हाल खसरा नंबर 383 जो दक्षिण में उक्त बाली तक था और उक्त बाली के ऊपर साबिक खसरा नंबर 333, 334 स्थित था उसके स्थान पर साबिक खसरा नंबर 335 से बने हाल खसरा नंबर 384 को नक्शा ट्रेस में गलत दर्शा दिया गया है, जबकि हाल खसरा नंबर 384 के स्थान पर साबिक खसरा नंबर 334 से बने हाल खसरा नंबर 383 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है। इसलिये हाल खसरा नंबर 384 उक्त श्री मोती पुत्र ऊमा व उसके बाद धूलसिंह पुत्र मोती व उसके बाद श्रीमति मेथी पत्नि पांचू के नाम गलत दर्ज हो रखी है, जबकि उक्त भूमि हाल खसरा नंबर 383 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की है, जिसे नक्शा ट्रेस में हाल खसरा नंबर 384 गलत दर्ज कर दिया है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 (च) में वर्णित हाल खसरा नंबर 59, 60, 50, 49, 38, 39, 51, 52 में कुल 4 हिस्से हैं, उनमें से वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का कुल मिलाकर 1/4 हिस्से के व प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16, 1/8 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 17, 1/8 हिस्से के तथा प्रतिवादीगण संख्या 22 लगायत 29, 1/8 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 21 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 13 का 1/4 हिस्सा है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 (छ) में वर्णित खसरा नंबर 487 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी-1 में कुल ढाई हिस्सों में से प्रतिवादी संख्या 17 मिठूसिंह 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 14, 15 व 16 क्रमशः नारायणसिंह, भगवानसिंह व संतोषसिंह कुल 1/2 हिस्से के एवं प्रतिवादी संख्या 29 उदा उर्फ उदयसिंह 1/8 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 22 श्री मोहन 1/8 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 18 लगायत 20 क्रमशः श्रीमति गंगा, चिम्मनसिंह व गोपाल 1/8 हिस्से के एवं वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 1/2 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 41 लक्ष्मण पुत्र भेर जी जांगडा ब्राह्मण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 (छ) में वर्णित खसरा नंबर 192 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी-1 में कुल दो हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 17 मिठूसिंह 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 16 क्रमशः नारायणसिंह, भगवानसिंह व संतोषसिंह कुल 1/2 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 42, 43 व 44 क्रमशः तेजमल, बिरदीचन्द व सुमेर तेली 1/4 हिस्से के तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4, 1/2 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 45 श्री बुधाराम लुहार 1/8 हिस्से के तथा प्रतिवादी संख्या 46 श्रीमति सीता जांगड 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है, जिनका अभी तक आपस में बंटवारा नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमियों के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 46 उपरोक्त खसरान वाईज संयुक्त रूप से काबिज है, किन्तु उनका विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 श्रीमति भंवरी व नारायणसिंह ने कुछ प्रतिवादीगण के विरुद्ध आंशिक खसरान का विभाजन का दावा राजस्व मुकदमा नंबर 125 सन् 2008 अजनाम श्रीमति भंवरी वगैरह बनाम श्री मांगू वगैरह के नाम से दिनांक 3.6.2008 को पेश किया था जो बंटवारा की निर्णय

.....लगातार

दीयूब समारिया
प्रमुख अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



व डिक्री दिनांक 1.9.2009 गलत व गैर कानूनी रूप से पारीत कर दी गई है, और उस डिक्री में केवलमात्र उक्त वाद के भंवरी व नारायणसिंह के हिस्से का विभाजन करने की ही डिक्री पारीत की गई है, बाकी का विभाजन का अनुतोष नहीं दिया गया है, इसलिये उक्त डिक्री से वादी बाध्य नहीं है, और उससे वादी के हिस्से का विभाजन नहीं हुआ है, इसलिये उक्त डिक्री वादी पर बंधनकारी नहीं है, और वादी किसी भी समय अपने हिस्से की घोषणा कराने व सभी जमीनों का एक साथ विभाजन कराने का अधिकारी है, इसलिये वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 46 को दिनांक 26.6.2011 को संबंधित भूमियों के विषय में उनके हिस्सों के अनुसार विभाजन की मांग की तो उन्होंने इन्कार कर दिया जबकि वादी को अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कराकर अपने हिस्से की जमीन को पृथक अपने नाम से करवाने की आवश्यकता हो गई है, ताकि वह स्वतंत्र रूप से पैसा लगाकर उसका विकास कर सके और हिस्सों के अनुसार बोनो में भी उसे तकलीफ नहीं होवे और विवाद नहीं उठे इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर अपने वाद पत्र की चरण संख्या 15 में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 3, 5 लगायत 11, 18 लगायत 21, 22 से 24, 26, 29, 31, 32, 36, 37, 40 लगायत 46 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 34 ने वादी के वाद को नकारते हुये जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है, वाद पत्र की चरण संख्या 1 में जो हिस्से बताये गये हैं, वे गलत व असत्य हैं। उक्त भूमियों में चन्दा, बन्ना, केशा प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है, और 1/3 हिस्सा के आधार पर वादी का 1/3 में से 1/2 का 1/5 वां हिस्सा यानि कि 1/30 वां हिस्सा ही बनता है, तथा जो सिजरा दिया है, वह गलत बनाकर दिया है। तथा वाद पत्र की चरण संख्या 3 में जो हिस्से दर्शाये गये हैं वह हिस्से बनते ही नहीं हैं। स्व0 बुधा पुत्र हंजा उर्फ हजारी का जो हिस्सा था वह हिस्सा बुधा ने रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 8.12.1983 तथा 25.8.1994 के द्वारा उत्तरकर्ता प्रतिवादी श्री इन्दरचन्द संचेती को बेचान करके उसका कब्जा संभला दिया था तथा प्रकार भूमि खसरा नंबर 188, 189 श्रीमति चन्द्रकला व श्री गुरुबक्षसिंह को रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 27.4.1988 के द्वारा हजारी व नाथू ने बेचान की थी तथा श्रीमति चन्द्रकला व श्री गुरुबक्षसिंह ने बेचाननामा दिनांक 8.12.1993 के द्वारा इन्दरचन्द संचेती को बेचान कर दी। तब से ही उक्त भूमि खरा नंबर 188, 189, 190, 193, 194 पर अकेले प्रतिवादी इन्दरचन्द संचेती का कब्जा बिना किसी रोकटोक के अपने अधिकारों में चला आ रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी कुल 03-16-00 भूमि का खातेदार काश्तकार अपनी खरीद की तारीख से चला आ रहा है। तथा काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया वादी का वाद खारीज किया जावे तथा वादी व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे तथा वादी व अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणात्मक डिक्री पारीत की जावे कि उक्त खसरा नंबर 188, 189, 190, 193, 194 प्रतिवादी संख्या 34 को खातेदार काश्तकार है तथा माननीय न्यायालय बंटवारा की डिक्री पारीत करने की अवस्था में प्रतिवादी का हिस्सा कायम करते हुये अलग से खाता दर्ज किया जाकर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 34 के हिस्से में दी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 33 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र को नकारते हुये कथन किया है, कि वादी ने जो सिजरा अंकित व हिस्से अंकित किये गये हैं, वह गलत व असत्य हैं। साबिक खसरा नंबर 336 का नया खसरा नंबर 385 व 388 है जो स्व0 श्री हीरा जी का पुश्तैनी ना होकर शामिल देह दर्शा रखी है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा आवंटित हो रखी थी तथा जो राज्य सरकार द्वारा संवत् 2012 में पुनः अवाप्त करने के पश्चात साबिक खसरा नंबर 336 संवत् 2021 से 2024 में पांचूसिंह पुत्र हीरासिंह प्रतिवादी संख्या 1 को नियमानुसार शुल्क लेकर विधि अनुसार आवंटित किया गया था जिस पर तब से लगाकर वर्तमान तक प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। खसरा नंबर 384 जो प्रतिवादी संख्या 33 की खरीदशुदा आराजियात है जो प्रतिवादी संख्या 33 ने जरिये पंजीकृत बेचाननामा के खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसकी सम्पूर्ण जानकारी वादी को प्रारंभ से चली आ रही है। इस संबंध में एक अन्य वाद राजस्व बोर्ड अजमेर के यहां विचाराधीन है इस कारण वादी के द्वारा समान परिस्थितियों व समान आराजियात

.....लगातार

पीयूष समारिया
प्रखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
द्वारा



बाबत पूर्व में विचाराधीन वाद होते हुये भी वादी के द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद विचाराधीन वाद के सिद्धान्त के आधार पर सव्यय निरस्तनीय है। तथा पूर्व में जो डिक्री पारीत की गई थी जो विधिनुसार पारीत की गई जिसकी पालना कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादी ने पूर्णतया गलत मिथ्या बनावटी एवं कपोलकल्पित तथा मनघण्डत होने से उत्तरकर्ता प्रतिवादीगण को स्वीकार नहीं है। वादी का वाद आदेश 6 नियम 14 व आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत रिजेक्ट होने योग्य है, वादी ने वाद पत्र में अपने अनुतोषों के अनुसार पूर्ण व पर्याप्त न्याय शुल्क अदा नहीं किया प्रतिवादी संख्या 47 से 49 के रूप में मौजूदा वाद पत्र में अनावश्यक रूप से आवश्यक पक्षकार बनाया है, अतः दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक था जो कि वादी द्वारा नहीं दिया गया है। वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजियात के मौके पर संबंधित व्यक्तियों के द्वारा मकानात एवं जायदाद का निर्माणात कराया जा चुका है। अतः वादी का वाद खारीज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 40 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र को नकारते हुये कथन किया है, खसरा नंबर 75 के 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त उत्तरदाता प्रतिवादी चला आ रहा है, इस हिस्सा भूमि को तत्कालिन खातेदार काश्तकार मोतीराम पुत्र केवाराम जी के कय कर कब्जे में लिया था। प्रतिवादी ने दिनांक 7.7.1997 को खरीद की जब से कब्जा चला आ रहा है। तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित हो चुका है। उक्त 1/8 हिस्से के अनुसार विभाजन कराना चाहता है, जिसस बाबत काउन्टर क्लेम पेश कर रहा है। अतः प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर उक्त 1/8 हिस्सा कायम किया जाकर विभाजित कर दी जाये व विभाजन में आई आराजियात का कब्जा प्रतिवादी का बरकरार रखा जाये।

प्रतिवादी संख्या 35 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र को नकारते हुये कथन किया है, खसरा नंबर 75 के 1/12 हिस्सा एवं खसरा नंबर 76 के 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त उत्तरदाता प्रतिवादीया चली आ रही है, इस हिस्सा भूमि को प्रीतमचन्द पुत्र राजमल जैन निवासी ब्यावर से कय कर कब्जे में लिया था। प्रतिवादीया ने दिनांक 5.12.2008 से चली आ रही है। तथा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादीया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित हो चुका है। तथा जो वादी ने अपना 1/10 हिस्सा बताया है, जिसे वह स्वयं सिद्ध करे। आराजी खसरा नंबर 75 के 1/12 हिस्सा व आराजी खसरा नंबर 76 के 1/6 हिस्से के अनुसार विभाजन कराना चाहती है, जिसस बाबत काउन्टर क्लेम पेश कर रहा है। अतः प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 75 में 1/12 हिस्से तथा खसरा नंबर 76 में 1/6 हिस्से कायम किया जाकर विभाजित कर दी जाये व विभाजन में आई आराजियात का कब्जा प्रतिवादी का बरकरार रखा जाये।

प्रतिवादी संख्या 30 ने जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र को नकारते हुये अधिकांश कथन प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 33 के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे का समर्थन करते हुये कथन किया है, कि खसरा नंबर 16 को बजरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 10.11.2008 के द्वारा उत्तरकर्ता प्रतिवादी ने श्रीमति बरकत बानो पत्नि श्री बन्ना जी जाति चीता निवासी फतेहपुरिया दोयम से उक्त खसरे का 2/5 हिस्सा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण भी उत्तरकर्ता प्रतिवादी के पक्ष में खोला गया जो कि विधि अनुसार खोला गया है। अतः वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध वाद खारीज किया जावे।

प्रकरण में वाद के विचाराधीन रहते हुये प्रतिवादी संख्या 3, 11, 13, 15, 17 व 25 फोट होने पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 4 जाब्ता दीवानी के दिनांकित 21.3.2012, 25.3.2013, 21.5.2014, 30.7.2014, 2.11.2015 को प्रस्तुत किये गये है, जिसमें उक्त प्रतिवादीगण की मृत्यु के दिनांक से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जाना पाया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाता है, तथा निर्णय में उक्त वारीसान के नाम अंकित किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है।

मजमें आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया जिन्होने बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री पारीत
.....लगातार

पीयूष समारिया
प्रखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



किये जाने का निवेदन किया मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर के हाल खसरा नंबर होना पाया गया। खतौनी जमाबंदी सन् 1350 फसली अनुसार साबिक खसरा नंबर 15, 331, 334, 888 हीरा पुत्र लाखा कोम राव खुदकाशत मालिक हिस्सेदार एवं 329, 333, वजीरा पुत्र भूरा कोम राव खुदकाशत मालिक दर्ज होना पाया गया। खतौनी जमाबंदी सन् 1350 फसली अनुसार साबिक खसरा नंबर 325, 327, 887 में घीसा पुत्र खूमा राव खुद काशत मालिक दर्ज होना पाया गया। एवं खतौनी जमाबंदी सन् 1350 फसली में साबिक खसरा नंबर 14, 330, 332, 889 में हंजा पुत्र भूरा कौम रावत खुदकाशत मालिक दर्ज होना पाया गया। खतौनी जमाबंदी सन् 1350 फसली में साबिक खसरा नंबर 324 एवं 17 गैरमुमकिन जेर आव दीकर मीजान दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार 1350 फसली सन् के अनुसार साबिक खसरा नंबर 168 घीसा पुत्र लूंबा कौम रावत खुदकाशत एवं साबिक खसरा नंबर 170 हीरा पुत्र लाखा कौम रावत खुदकाशत मालिक, 171 हजारी पुत्र भूरा रावत खुद काशत मालिक एवं साबिक खसरा नंबर 64 हीरा पुत्र लाखा रावत, 65 हजारी उर्फ हंजा व वजीरा पिसरान भूरा कोम रावत खुद काशत मालिक दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार खतौनी जमाबंदी सन् 1350 फसली के अनुसार साबिक खसरा नंबर 323 338 मोती पुत्र केशा कौम रावत तामेर्जी मु0नंबर 1 साल एवं खेवट 1360, 1362 से 1363 फसली में साबिक खसरा नंबर 336, 335 शामलात देह हस्ब रसद खेवट दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार खेवट 1360, 1362 से 1363 फसली में साबिक खसरा नंबर 324, 17 घीसा खाते नंबर 3, मोती वगैरह खाते नंबर 4 पांचा वगैरह खाते नंबर 5 दर्ज होना पाया गया है। एवं जमाबंदी संवत 2016 से 2019 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 335 नदिया व नाले दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार 1360 फसली से 1361 के अनुसार पाचा व धन्ना व पेमा व अजमाल व बाला नाबालिग पिसरान हीरा बसरबराही मुस्त बज्जी वाल्दा खुद व हिस्से बराकर हंजा व जीरा पिसरान भूरा व हिस्से बराकर कौम रावत साबिक खसरा नंबर 14, 33, 332, 889, 15, 331, 334, 888, 329, 333, 890 में दर्ज होना पाया गया। एवं इसी प्रकार से खसरा गिरदावरी सन् 1364, 1365, 1362 से 1363, फसली प्रस्तुत किया जाना पाया गया। इसी प्रकार से जमाबंदी संवत 2016 से 2019 अनुसार साबिक खसरा नंबर 17, 324 के अनुसार घीसा पुत्र लूम्बा कौम रावत 2 हिस्सा मोती पुत्र केशा 1 हिस्सा हुक्मा पुत्र पन्ना नाबालिग बसरबराही मुस्मात कंवरी वाल्दा खुद कौम रावत 1 हिस्सा दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार से जमाबंदी संवत 2016 से 2019, साबिक खसरा नंबर 336 में मिलिकयत सरकार चालू पडत एक साल दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2016 से 2019 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 14, 15, 64, 329, 65, 330, 331, 332, 333, 334, 888, 889, 890 पांचा व धन्ना, पेमा व अजमाल व बाला नाबालिग पिसरान हीरा बसरबराही मुस्मात बज्जी वाल्दा खुद बहिस्से बराबर 1 हिस्सा, हंजा व वजीरा पिसरान भूरा बहिस्से बराबर 1 हिस्सा खुदकाशत मालिक दर्ज होना पाया गया। एवं जमाबंदी संवत 2021 से 2024 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 17, 324 के अनुसार घीसा पुत्र लूम्बा कोम रावत 2 हिस्सा, मोती पुत्र केशा 1 हिस्सा, हुक्मा पुत्र पन्ना नाबालिग बसरबराही मु0 कंवरी वाल्दा खुद 1 हिस्सा दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2021 से 2024, 2025 से 2028 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 14, 15, 64, 329, 65, 330, 331, 332, 333, 334, 888, 889, 890 के अनुसार पांचा व धन्ना व पेमा व अजमाल व बाला नाबालिगान पिसरान हीरा बसरबराही मु. बज्जी वाल्दा खुद बहिस्से बराकर 1 हिस्सा हंजा व वजीरा पिसरान भूरा बहिस्से बराबर 1 हिस्सा खुद काशत मालिक दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2024 से 2025 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 335 मिन में विवरण में नोट ना0नंबर 166 दिनांक 21.5.1984 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 335 में से 00-12-00 पर उदा पुत्र लालू व मोती व नाथू पिसरान उमा रावत को गैर खातेदार में दर्ज किया जाना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2025 से 2028 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 17 व 324 घीसा पुत्र लूम्बा 2 हिस्सा, व मोती पुत्र केशास 1 हिस्सा हुक्मा पुत्र पन्ना 1 हिस्सास कौम रावत खुद काशत मालिक दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2025 से 2028 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 323, 338, 413, 414, 415, 417, 418 में खातेदार के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार से जमाबंदी संवत

.....लगातार

पीयूष समारिया
प्रमुख अधि. एवं सहायक कलक्टर
व्यावर



2025 से 2028 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 534, 335 मोती पुत्र रतना, इसर पुत्र गाजी कौम भांबी मोती पुत्र कमा रावत दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2025 से 2028 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 336 पांचू पुत्र हीरा एवं 335 मोती पुत्र उमा एवं 929, 931 राघवेन्द्राचार्य पुत्र गणेश के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2042 से 2045 के अनुसार हाल खसरा नंबर 19, 375 में नारायणसिंह, भगवानसिंह, संतोषसिंह पिसरान धूलसिंह हिस्सा 1/2 मिठूसिंह पुत्र घीसासिंह, 1/2 हिस्सा उदा पुत्र मोडू व मोहन, लक्ष्मण पिसरान नाथू 1 हिस्सा हुक्मा पुत्र पन्ना 1 हिस्सा रावत दर्ज होना पाया गया। वर्किंग जमाबंदी के अनुसार हाल खसरा नंबर 385, 386, 343, 344 के अनुसार पांचू पुत्र हीरा के नाम दर्ज होना पाया गया। एवं वर्किंग जमाबंदी के अनुसार हाल खसरा नंबर 19, 375 के अनुसार नारायणसिंह, भगवानसिंह, संतोषसिंह पिसरान धूलसिंह 1/2, मिठूसिंह पुत्र घीसासिंह 1/2, उदा पुत्र मोडू व मोहन, लक्ष्मण पिसरान नाथू 1 हिस्सा हुक्मा पुत्र पन्ना 1 हिस्सा कौम रावत दर्ज होना पाया गया। वर्किंग जमाबंदी एवं संवत 2042 से 2045 में हाल खसरा नंबर 384 के अनुसार मोती पुत्र उमा कौम रावत खातेदार दर्ज एवं उक्त खसरा का जमाबंदी संवत 2046 से 2049, में जरिये विरासती दाखिल खारीज एवं जमाबंदी 2050-2053, 2054-2057 में धूलसिंह पुत्र मोती दर्ज होना पाया गया। वर्किंग जमाबंदी एवं जमाबंदी संवत 2042 से 2045, 2046 से 2049, 2050-2053 में हाल खसरा नंबर 16, 17, 74, 75, 76, 358, 380, 381, 382, 383, 1042, 1043, 1044 के अनुसार पांचा, धन्ना, पेमा, कालू व बालू पिसरान हीरा ब हिस्से बराबर 1 हिस्सा हंजा पुत्र भूरा व बुधा, नाथू, किशना, लाला पिसरान वजीरा व हिस्सा बराबर 1 दर्ज होना पाया गया एवं विरासती दाखिल खारीज खोला जाना एवं जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में उक्त खातेदारान के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2042 से 2045, 2046 से 2049 के अनुसार खसरा नंबर 385, 386, 343, 344 में पांचू पुत्र हीरा कौम रावत दर्ज होना पाया गया एवं इन्ही खसरान की जमाबंदी संवत 2050 से 2053 में खसरा नंबर 344 जरिये बेचान खरीददार के नाम दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2042 से 2045, 2046-2049, 2054-2057, 2058-2061 के अनुसार खसरा नंबर 19, 375 के अनुसार नारायणसिंह, भगवानसिंह, संतोषसिंह पिसरान धूलसिंह हिस्सा 1/2, मिठूसिंह पुत्र घीसासिंह हिस्सा 1/2, उदा पुत्र मोडू व मोहन, लक्ष्मण पिसरा नाथू 1 हिस्सा हुक्मा पुत्र पन्ना 1 हिस्सा दर्ज होना पाया गया एवं जमाबंदी संवत 2050 से 2053 के अनुसार हुक्मा पुत्र पन्ना का विरासती दाखिल खारीज अनुसार जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में उक्त इन्द्राज दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2054 से 2057, 2065-2068 के अनुसार खसरा नंबर 385, 386 में पांचू पुत्र हीरा के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2054 से 2057, 2065-2068 के अनुसार खसरा नंबर 383 पांचा, धन्ना, पेमा, कालू व बालू पिसरान हीरा ब हिस्से बराबर 1 हिस्सा हंजा पुत्र भूरा व बुधा, मुत0 हजारी, बुधा पिसरान वजीरा व शिवकुमार पुत्र मांगीलाल कोम माली निवासी पारसी कोलोनी ब्यावर जेती बैवा वजीरा ब.हि.ब 1 दर्ज होना व इसी जमाबंदी में बुधा मुत. हजारी का विरासती दाखिल खारीज नारायण पुत्र बुधा व भंवरी बैवा बुधा दर्ज होना पाया गया इसी प्रकार से उक्त खसरा नंबर 383 में संवत 2058 से 2061 में जेती बैवा वजीरा के वारीसान के नाम दाखिल खारीज खोला जाना पाया गया। जमाबंदी संवत 2058 से 2061 के अनुसार खसरा नंबर 384 धूलसिंह पुत्र मोती के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के द्वारा दाखिल खारीज मेथी पत्नि पांचूसिंह के नाम दर्ज किया जाकर जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में भी दर्ज होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में खसरा नंबर 190, 193, 194 मिठूसिंह पुत्र घीसासिंह 1/4 हि0 नारायणसिंह, भगवानसिंह, संतोषसिंह पिसरान धूलसिंह 1/4 हि0 इन्दरचन्द पुत्र अमरचन्द कौम जैन 1/4 हि. पांचा, धन्ना, अजमाल, पेमा, बाला पिसरान हीरा 1/4 हि0 दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 487 जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के अनुसार खातेदारान के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में खसरा नंबर 195 में मिठूसिंह पुत्र घीसा 1/2 हि0 नारायणसिंह, भगवानसिंह, संतोषसिंह पिसरान धूलसिंह 1/2 हि0 बुधा मुत0 हजारी 1/2 हि. पांचा, धन्ना, अजमाल, पेमा, बाला पिसरान हीरा 1/2 हि0. दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के अनुसार खसरा नंबर 38, 39, 49, 50, 51, 52, 59, 60 में खातेदारान के नाम दर्ज होना पाया गया।

.....लगातार

पीयूष समारिया
प्रपण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



इसी प्रकार खसरा नंबर 16 में खातेदारान के नाम दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में खसरा नंबर 358 व 380 पांचा, धन्ना, पेमा, कालू, बाला पिसरान हीरा 1 हिस्सा प्रेमलतापत्नि प्रकाशचन्द्र जैन 1 हिस्सा दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार खसरा नंबर 76 पांचा, धन्ना, पेमा, कालू, बाला पिसरान हीरा 1 हिस्सा व मोतीराम पुत्र केवाराम सिंधी का 1 हिस्सा बेचान किये जाने के बाद खरीददारान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 के अनुसार खसरा नंबर 75 पांचा, धन्ना, पेमा, कालू, बाला पिसरान हीरा 1/2 हिस्सा व विनोदकुमार पुत्र बुधमल जोशी 1/8 हिस्सा एवं मोतीराम पुत्र केवाराम सिंधी का 3/8 हिस्सा बेचान किये जाने के बाद खरीददारान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना पाया गया। जबकि साबिक खसरा नंबर 336 जमाबंदी संवत् 2016 से 2019, में मिलिकयत सरकार चालू पडत दर्ज होना पाया गया। तथा कैंप कोर्ट मजमें आम में वादी व उपस्थिति प्रतिवादीगण ने कथन किया है, कि पत्रावली पर उपस्थिति दस्तावेजो अनुसार प्रकरण का निरस्तारण किया जावे। चूंकि प्रकरण में राजस्व वाद संख्या 125/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2009 के विषय में वादीगण द्वारा अवैध व प्रभाव शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि उक्त निर्णय व डिक्री के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य व विवेचन के अनुसार वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नहीं पाये जाने से काउन्टर क्लेम खारीज किया जाता है।

अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप स्वीकार किया जाकर मौजा ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर जिला-अजमेर में काश्त भूमियां खसरा नंबर 16 रकबा 01-08-00 किस्म ता.3, खसरा नंबर 380 रकबा 00-10-10, खसरा नंबर 382 रकबा 00-08-00 किस्म चा.1, खसरा नंबर 1043 रकबा 00-18-00 किस्म चा.1+, खसरा नंबर 17 रकबा 01-03-00 किस्म ता.3, खसरा नंबर 381 रकबा 00-18-10, खसरा नंबर 383 रकबा 01-14-10 किस्म बा.1, खसरा नंबर 1042 रकबा 02-00-10 किस्म चा.1+, खसरा नंबर 358 रकबा 00-10-10 किस्म चा.1, खसरा नंबर 1044 रकबा 00-18-10 किस्म चा.1+ एवं खसरा नंबर 375 रकबा 00-05-10 किस्म चाह, खसरा नंबर 19 रकबा 00-09-10 किस्म बाडा खसरा नंबर 193 रकबा 01-02-10 किस्म बा.1, खसरा नंबर 195 रकबा 01-1-00 किस्म बा.1, खसरा नंबर 189 रकबा 00-09-00 किस्म बा.1, 190 रकबा 00-09-10 किस्म बा.1, खसरा नंबर 194 रकबा 01-02-00 किस्म बा.1 एवं खसरा नंबर 74 रकबा 01-09-00 किस्म ता.2, खसरा नंबर 75 रकबा 00-13-10 किस्म ता.2, खसरा नंबर 76 रकबा 00-13-00 किस्म ता.2, बा.3 एवं खसरा नंबर 59 रकबा 00-16-00 किस्म चा.1, 60 रकबा 00-11-00 किस्म चा.2, 50 रकबा 00-11-10 किस्म चा2, 49 रकबा 00-11-00 किस्म चा.2, 38 रकबा 00-17-00 किस्म चा01, 39 रकबा 00-02-10 किस्म गै.मु.चाह, 51 रकबा 00-12-00 किस्म बा.3, 52 रकबा 00-10-00 किस्म बा.1 एवं खसरा नंबरान 487 रकबा 01-09-00 किस्म बा.1 एवं 192 रकबा 01-00-00 किस्म बा.1, खसरा संख्या 385 रकबा 00-05-00 व ख.नं. 386 रकबा 00-05-00 किस्म बा.3 में वर्तमान जमाबंदी में जो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 46 के नाम दर्ज चले आ रहे हैं, उनके हिस्सो के अनुसार बॉर्ड मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर उनके वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 46 के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एवं कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारीत किये जाते हैं तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित कर तहसीलदार ब्यावर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। किसी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक वारिसान की जांच कर पक्षकार का हिस्सा वारिसान

.....लगातार

दीयूब समारिया
प्रखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



श्री बाला उर्फ बाबूसिंह बनाम श्री पांचा व अन्य
राजस्व वाद संख्या 95/2011

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प - जालिया प्रथम

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

के नाम दर्ज करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे तथा किसी पक्षकार द्वारा भूमि का बेचान किये जाने की स्थिति में क्रेता के नाम अंकित करते हुए बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 46 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि तब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जावे तब तक बेचान हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे में बाधा उत्पन्न नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप जालिया प्रथम में खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पीयूष कुमार शर्मा)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
जयपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

प्रारंभिक डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम पीयूष समारिया आई. ए. एस.

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प-जालिया प्रथम
राजस्व वाद संख्या 95/2011

श्री बाला उर्फ बालूसिंह उम्र करीबन 62 साल पुत्र श्री हीरा जी
जाति रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर वारीस हीरा पुत्र लाखा
----- वादी

ब न अ म

- 1- श्री पांचा उम्र करीबन 70 साल
- 2- श्री धन्ना उम्र करीबन 69 साल } पिसरान श्री हीरा
- 3- श्री पेमा उम्र करीबन 67 साल पुत्र हीरा जी ---मृतक---
- 3/1- श्रीमति कंकूदेवी उम्र 63 साल बैवा पेमा जी
- 3/2- श्री राजेन्द्रसिंह उम्र करीबन 40 साल
- 3/3- श्री नौरतसिंह उम्र करीबन 36 साल } पिसरान स्व. पेमा जी
- 3/4- श्री रतनसिंह उम्र करीबन 24 साल
- 3/5- श्री विजयसिंह उम्र करीबन 20 साल }
समस्त जाति रावतान निवासी गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 3/6- श्रीमति गीता पुत्री पेमा पत्नि श्री प्रतापसिंह जी जाति रावत
निवासी नरबतखेडा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर
- 3/7- श्रीमति लक्ष्मी पुत्री पेमा पत्नि श्री मदनसिंह जाति रावत
निवासी गांव सेन्दडा तहसील रायपुर जिला-पाली
- 3/8- श्रीमति लीला पुत्री पेमा पत्नि श्री राजेन्द्रसिंह जाति रावत
निवासी जोहरखेडा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर.
- 3/9- श्रीमति सुगनी पुत्री पेमा पत्नि श्री पुरुषोत्तमसिंह जाति रावत
निवासी रेल्वे फाटक के पास सबलपुरा तहसील रायपुर जिला-पाली
- 4- श्री अजमाल उर्फ कालू उम्र करीबन 64 साल पुत्र हीरा जी
समस्त वारीसान श्री हीरा पुत्र लाखा
- 5- श्रीमति गंगा वयस्क बैवा नाथू पुत्र वजीरा
- 6- श्रीमति कमला वयस्क बैवा अमरसिंह पुत्र नाथू जी पुत्र वजीरा जी
- 7- कुमारी मन्जू उम्र 15 साल पुत्री अमरसिंह जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता
श्रीमति कमला बैवा अमरसिंह जाति रावत
- 8- श्री अन्ना वयस्क पुत्र नाथू जी पुत्र वजीरा
सभी जाति रावत निवासीयान गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 9- श्रीमति सुगना वयस्क पुत्री नाथू पत्नि जसवंतसिंह रावत
- 10- श्रीमति पुष्पा वयस्क पुत्री नाथू पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह जी रावत
निवासी केसरपुरा उदयपुर रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 11- श्री किसना वयस्क पुत्र वजीरा रावत ---मृतक---
- 11/1- श्री पूरणसिंह उम्र 28 साल पुत्र स्व. श्री किसना जी
जाति रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 11/2- श्रीमति सुमन उम्र करीबन 25 साल पुत्री स्व. किसना जी पत्नि श्री
मोहनसिंह जाति रावत निवासी प्रतापगढ वाया बाबरा तहसील रायपुर
समस्त वारीसान वजीरा पुत्र भूरा रावत
- 12- श्रीमति भंवरी वयस्क बैवा बुद्धा जी रावत
- 13- श्री नारायणसिंह वयस्क पुत्र श्री बुद्धा जी रावत ---मृतक---
- 13/1- श्रीमति गोदावरी वयस्क बैवा नारायणसिंह
- 13/2- श्री गणेशसिंह वयस्क पुत्र स्व. नारायणसिंह
जाति रावत निवासीयान गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर



.....लगातार

पीयूष समारिया
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

- 13/3-श्री भरतसिंह उम्र करीबन 15 साल नाबालिग पुत्र स्व. नारायणसिंह
13/4-कुमारी खुशी उम्र करीबन 13 साल नाबालिग पुत्री स्व. नारायणसिंह
दोनो नाबालिगान जरिये नेक्सट फ्रेण्ड कुदरती वली माता श्रीमति
गोदावरी बैवा नारायणसिंह रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तह0 ब्यावर
13/5-श्रीमति डाली वयस्क पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि श्री प्रवीणसिंह जाति
रावत निवासी ग्राम कोटडा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर
13/6-श्रीमति कविता वयस्क पुत्री स्व. नारायणसिंह पत्नि श्री रघुवीरसिंह रावत
निवासी सोवनीया मालीपुरा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर राज0
वारीसान श्री हंजा उर्फ हजारी पुत्र भूरा रावत निवासी ठीकराना मेन्द्रातान
तहसील ब्यावर
14- श्री नारायणसिंह वयस्क पुत्र धूलसिंह रावत
15- श्री भगवानसिंह वयस्क पुत्र धूलसिंह रावत —मृतक—
15/1-श्रीमति मीरा उम्र 50 साल बैवा भगवानसिंहजी
15/2-श्री विजयसिंह उम्र करीबन 20 साल पुत्र स्व. भगवानसिंह
15/3-श्री अरविन्दसिंह उम्र करीबन 16 साल नाबालिग पुत्र स्व. भगवानसिंह
जरिये नेक्सट फ्रेण्ड कुरदती वली माता श्रीमति मीरा बैवा भगवानसिंह
जाति रावत निवासीयान ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
15/4-श्री धर्मेन्द्रसिंह उम्र करीबन 30 साल पुत्र स्व. भगवानसिंह
जाति रावत निवासी गांव धोलिया तहसील रायपुर जिला-पाली
15/5-श्रीमति शीला उम्र करीबन 22 साल पुत्री स्व. भगवानसिंह पत्नि श्री
जितेन्द्रसिंह रावत निवासी धोलीसाट पी.ओ.जवाजा तहसील ब्यावर
16- श्री संतोषसिंह वयस्क पुत्र धूलसिंह रावत
17- श्री मिठूसिंह वयस्क पुत्र घीसासिंह रावत—मृतक—
17/1-श्रीमति दाखू उम्र 58 साल बैवा मिठूसिंहजी
17/2-श्री बलवंतसिंह उम्र करीबन 41 साल
17/3-श्री रणजीतसिंह उम्र करीबन 39 साल } पिसरान स्व. मिठूसिंह जी
17/4-श्री नरेन्द्रसिंह उम्र करीबन 37 साल }
समस्त जाति रावतान निवासी गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
17/5-श्रीमति कंचन पुत्री मिठूसिंह पत्नि श्री होशियारसिंह जी जाति रावत
निवासी ग्राम सरवीना तहसील ब्यावर
17/6-श्रीमति सुशीला पुत्री मिठूसिंह पत्नि श्री अमरसिंह जाति रावत
निवासी गांव सेन्द्रा तहसील रायपुर जिला-पाली
समस्त वारीसान श्री घीसासिंह पुत्र लूम्बा रावत
18- श्रीमति गंगा बैवा पूनमसिंह पुत्र हुक्मा
19- श्री चिम्नसिंह वयस्क पुत्र पूनमसिंह पुत्र हुक्मा
20- श्री गोपाल वयस्क पुत्र पूनमसिंह पुत्र हुक्मा
21- श्री अमरसिंह वयस्क पुत्र हुक्मा
सभी जाति रावत निवासीयान गांव ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
समस्त वारीसान पन्ना पुत्र केशा
22- श्री मोहन वयस्क पुत्र नाथू
23- श्री कैलाश वयस्क पुत्र लक्ष्मणसिंह
24- श्री सुखदेवसिंह वयस्क पुत्र लक्ष्मणसिंह
25- श्री नैनासिंह वयस्क पुत्र लक्ष्मणसिंह—मृतक—
26- श्री उगमसिंह वयस्क पुत्र लक्ष्मणसिंह
27- श्री हेमन्त उम्र करीबन 17 साल } पिसरान श्री स्व. लक्ष्मणसिंह नाबालिग जरिये
28- श्री लाला उम्र करीबन 13 साल } बडा भाई नेक्सट फ्रेण्ड श्री कैलाशसिंह पुत्र
लक्ष्मणसिंह रावत

.....लगातार

पीयूष समारिया
पंचण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



- 29- श्री उदयसिंह उर्फ उदा वयस्क पुत्र मोडूसिंह
समस्त जाति रावतान निवासीयान ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
समस्त वारीसान मोती पुत्र केशा रावत
- 30- श्री पारसकुमार वयस्क पुत्र उदयराज मेवाडा जाति कलाल
निवासी ग्राम बर तहसील रायपुर जिला-पाली
- 31- श्रीमति प्रेमलता भंसाली वयस्क पत्नि श्री प्रकाशचन्द जी जैन जाति ओसवाल
जैन निवासी श्रीचन्द अब्बानी गली ब्यावर हाल बर्फ फेक्ट्री के पीछे अजमेर रोड
दादीधाम के पीछे, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 32- श्री शिवकुमार वयस्क पुत्र मांगीलाल जाति माली
निवासी फारसी कॉलोनी ब्यावर तहसील ब्यावर
- 33- श्रीमति मैथी वयस्क पत्नि श्री पांचूसिंह रावत
निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 34- श्री इन्द्रचन्द संचेती वयस्क पुत्र श्री अमरचन्द संचेती जाति जैन
निवासी कुन्दन भवन गली, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 35- सुश्री स्वाति वर्मा वयस्क पुत्री श्री कुंजबिहारी जाति सोनी
निवासी सनातन स्कूल मार्ग, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 36- श्रीमति चन्दनबाला वयस्क पत्नि श्री पदमचन्द जी जाति जैन
निवासी नृसिंहगली, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 37- श्रीमति लीलादेवी वयस्क पत्नि श्री नवलकिशोर जी भराडिया
जाति माहेश्वरी निवासी नृसिंहगली, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 38- श्रीमति गोदावरीदेवी पत्नि श्री शंकरलाल जी जाति जांगिड
निवासी वर्धमान कॉलेज के पास, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 39- श्रीमति प्रभातीदेवी वयस्क पत्नि श्री गणपतलाल जी जाति जांगिड
निवासी करणीनगर लिंक रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 40- श्री विनोदकुमार वयस्क पुत्र बुधमल जोशी
निवासी कृष्णा कॉलोनी, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 41- श्री लक्ष्मण वयस्क पुत्र भैर जी जाति जांगडा ब्राह्मण
निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 42- श्री तेजमल }
43- श्री बिरदीचन्द } वयस्क पिसरान राधाकिशन तेली
44- श्री सुमेर }
निवासी निम्बोल तहसील जैतारण जिला-पाली
- 45- श्री बुधाराम वयस्क पुत्र श्री विभीषण लुहार
निवासी ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर
- 46- श्रीमति सीता वयस्क पत्नि श्री बिरदीचन्द जांगिड खाती
निवासी गायत्रीनगर द्वितीय जालिया लिंक रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
- 47- राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर
- 48- श्रीमान् सबरजिस्ट्रार महोदय, ब्यावर
- 49- श्रीमान् जिलाधीश महोदय, अजमेर

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी - श्री आर0पी0कुमावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगण - श्री हनुमानसिंह, श्रीरोहित चौधरी, श्री जी0आर0 भण्डारी
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.47से49- परोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :- 95/2011
निर्णय/डिक्री दिनांक :- 03.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में पेश हुआ। वादी एवं

.....लगातार

पीयूष समारिया
प्रमुख अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर



प्रतिवादीगण उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.05.2018 को पीयूष समारिया (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट जालिया प्रथम में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

मजमें आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप स्वीकार किया जाकर मौजा ठीकराना मेन्द्रातान तहसील ब्यावर जिला-अजमेर में काश्त भूमियां खसरा नंबर 16 रकबा 01-08-00 किस्म ता.3, खसरा नंबर 380 रकबा 00-10-10, खसरा नंबर 382 रकबा 00-08-00 किस्म चा.1, खसरा नंबर 1043 रकबा 00-18-00 किस्म चा.1+, खसरा नंबर 17 रकबा 01-03-00 किस्म ता.3, खसरा नंबर 381 रकबा 00-18-10, खसरा नंबर 383 रकबा 01-14-10 किस्म बा.1, खसरा नंबर 1042 रकबा 02-00-10 किस्म चा.1+, खसरा नंबर 358 रकबा 00-10-10 किस्म चा.1, खसरा नंबर 1044 रकबा 00-18-10 किस्म चा.1+ एवं खसरा नंबर 375 रकबा 00-05-10 किस्म चाह, खसरा नंबर 19 रकबा 00-09-10 किस्म बाडा खसरा नंबर 193 रकबा 01-02-10 किस्म बा.1, खसरा नंबर 195 रकबा 01-1-00 किस्म बा.1, खसरा नंबर 189 रकबा 00-09-00 किस्म बा.1, 190 रकबा 00-09-10 किस्म बा.1, खसरा नंबर 194 रकबा 01-02-00 किस्म बा.1 एवं खसरा नंबर 74 रकबा 01-09-00 किस्म ता.2, खसरा नंबर 75 रकबा 00-13-10 किस्म ता.2, खसरा नंबर 76 रकबा 00-13-00 किस्म ता.2, बा.3 एवं खसरा नंबर 59 रकबा 00-16-00 किस्म चा.1, 60 रकबा 00-11-00 किस्म चा.2, 50 रकबा 00-11-10 किस्म चा.2, 49 रकबा 00-11-00 किस्म चा.2, 38 रकबा 00-17-00 किस्म चा.01, 39 रकबा 00-02-10 किस्म गै.मु.चाह, 51 रकबा 00-12-00 किस्म बा.3, 52 रकबा 00-10-00 किस्म बा.1 एवं खसरा नंबरान 487 रकबा 01-09-00 किस्म बा.1 एवं 192 रकबा 01-00-00 किस्म बा.1, खसरा संख्या 385 रकबा 00-05-00 व ख.नं. 386 रकबा 00-05-00 किस्म बा.3 में वर्तमान जमाबंदी मे जो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 46 के नाम दर्ज चले आ रहे है, उनके हिस्सो के अनुसार बॉई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर उनके वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 46 के हिस्सेनुसार पृथक पृथक खाते एवं कब्जा कायम किये जाने के आदेश पारीत किये जाते है तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित कर तहसीलदार ब्यावर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। किसी पक्षकार की मृत्यु होने की दशा में उसके विधिक वारिसान की जांच कर पक्षकार का हिस्सा वारीसान के नाम दर्ज करते हुये बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे तथा किसी पक्षकार द्वारा भूमि का बेचान किये जाने की स्थिति में क्रेता के नाम अंकित करते हुए बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 46 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि तब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जावे तब तक बेचान हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही नही करे तथा वादीगण के कब्जे में बाधा उपत्पन्न नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे

आज तारीख 03.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(पीयूष समारिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

.....लगातार

प्रारंभिक डिग्री मुकदमा इब्तदाई
श्री बाला उर्फ बालूसिंह बनाम श्री पांचा व अन्य
राजस्व वाद संख्या 95/2011

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प - जालिया प्रथम

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	रुपया
जोड़		जोड़	



(पीठक समारोह)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर